6 उपस्थित। प्रार्थी एवं उपस्थित अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी संयुक्त खाते की भूमि का किलावार खाता विभाजन चाहते हैं। इस पर उपस्थित अप्रार्थीगण ने भी सहमति जताई परन्तु सहमत पक्षकार उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से अनुसार प्रार्थी द्वारा RTA की धारा 88, 188 के तहत वादपत्र दायर किया है, चूंकि प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी संयुक्त खाता की भूमि का किलावार विभाजन कराना चाहता है। प्रकरण घोषणात्मक दावे के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है। चूंकि प्रार्थी ने जिस भूमि को लेकर वादपत्र दायर लगाया गया है वह भूमि पहले से ही प्रार्थी के खाते में दर्ज किई है। प्रार्थी का वादपत्र घोषणात्मक दावे के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरेआम कैम्प GLM में सुनाया गया

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सहपाड़
कैम्प - GLM

5/18

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप० । अप्रार्थी सं० के उपस्थित। प्रार्थी एवं उपस्थित अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी संयुक्त खाते की भूमि का किलाबार खाता विभाजन चाहते है। इस पर उपस्थित अप्रार्थीगण ने भी सहमति जताई परन्तु सहमत पक्षकार उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से अनुसार प्रार्थी द्वारा RTA की धारा 88, 188 के तहत वादपत्र दायर किया है, जबकि प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी ~~खात~~ संयुक्त खाता की भूमि का किलाबार विभाजन कराना चाहता है। प्रकरण घोषणात्मक दावे के अन्तर्गत चलने योग्य नही है। चूंकि प्रार्थी ने जिस भूमि को लेकर वादपत्र दायर लगाया गया है वह भूमि पहले से ही प्रार्थी के खाते में दर्ज किई है। प्रार्थी का वादपत्र घोषणात्मक दावे के अन्तर्गत चलने योग्य नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरेआम कैम्प GLM में सुनाया गया

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बहुपाठ
कैम्प - GLM

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल कर नमूना / दिनांक

1/5/18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप0 । अप्रार्थी सं0 के 6 उपस्थित । प्रार्थी एवं उपस्थित अप्रार्थीगण को सुना गया । प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी संयुक्त खाते की भूमि का किलावार खाता विभाजन चाहते है। इस पर उपस्थित अप्रार्थीगण ने भी सहमति जताई परन्तु समस्त पदाधिकारी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अनुसार प्रार्थी द्वारा RTA की धारा 88, 188 के तहत वादपत्र दायर किया है, जबकि प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी ~~खात~~ संयुक्त खाता की भूमि का किलावार विभाजन कराना चाहता है। प्रकरण घोषणात्मक दावे के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है। चूंकि प्रार्थी ने जिस भूमि को लेकर वादपत्र दायर लगाया गया है वह भूमि पहले से ही प्रार्थी के खाता में दर्ज किई है। प्रार्थी का वादपत्र घोषणात्मक दावे के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रमाणित

सोहनलाल